उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1

संख्या: 17/2015/1400/22-1-2015-56/2015टीसी

लखनऊ : दिनांक 04 सितम्बर, 2015

कार्यालय-आदेश

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-2608/2011 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0बनाम राजेश कुमार व अन्य तथा उससे सहबद्व सिंचाई विभाग की सिविल अपील संख्या-2679/2011 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम प्रेम कुमार सिंह व अन्य सहबद्व अपीलों में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-04-2012 का आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-

In the ultimate analysis, we conclude and hold that section 3(7) of the 1994 Act and Rule 8A of the 2007 Rules are ultra vires as they run counter to the dictum in M. Nagaraj (supra). any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (supra) and without the aid or assistance of section- 3(7) and Rule 8A shall remain undisturbed.

2- मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 27-04-2012 के अनुपालन कराये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015, दिनांक 21-08-2015 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 15 नवम्बर, 1997 के पश्चात एवं दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व प्रोन्नत कार्मिकों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3 (7) के प्राविधान के अनुसार पदोन्नति मे आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नत कार्मिकों तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथासंशोधित) के नियम-8 (क) लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गयी है, उन्हें पदावनत कर दिया जाय। वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची जो कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 08-5-2012 एवं 13-5-2012 के क्रम में जारी की गयी है, के अनुसार दिनांक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम 8क का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हों, उसे उस स्तर तक उन्हें पदावनत किया जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) पदावनत किए जाने पर, आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा। उक्त वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदावनत किए गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिक से आसन्न वरिष्ठ कर्मी को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर पदावनत कर्मी का मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनति के ठीक पूर्व के माह में पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियां (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिए पदावनति किए गये कार्मिक की पदावनति के उपरांत निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियां तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अन्तर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतनमान आगे के वर्षो में उस सीमा तक कम हो जायेगा जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्वि के कारण मूल वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्वि तथा अन्य भत्तों सहित आधारित सकल वेतन में बृद्वि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियां तब तक फ्रीज रहेंगी जब तक कि पदावनत कर्मी के आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियां इसके बराबर या इससे अधिक न हो जाये।

(ग) आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नति कार्मिक, पदावनति के पश्चात पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधाएं प्राप्त करेंगे।

(घ) पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(च) अनारक्षित वर्ग(जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त् परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की मांग नहीं की जायेगी कि वे पदावनत कर्मी से संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ है।

(छ) उपरोक्तानुसर पदावनति किये जाने के परिणामस्वरूप जो रिक्तियां उपलब्ध होगी, उन पर उक्त वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

3- कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2012, दिनांक 21 अगस्त, 2015 के प्रस्तर-6 में अंकित उपरोक्त प्राविधानों के अनुपालन में महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 द्वारा उत्तर प्रदेश कारागार सेवा समूह-क एवं ख के अधिकारियों की दिनांक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम8(क) का लाभ प्राप्त कर पदोन्नति कार्मिकों का, उनसे कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत है, उस स्तर तक उन्हें पदावनत किये जाने का प्रस्ताव अपने पत्र दिनांक 03-09-2015 उपलब्ध कराया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- कार्मिक विभाग के उपर्युक्त शासनादेश के अनुपालन में महानिरीक्षक कारागार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27-04-2012 एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 21-08-2015 के अनुपालन में पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 15-11-1997 के बाद एवं दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व प्रोन्नत निम्न कार्मिकों को उनसे कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत है, के स्तर तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद पर **तात्कालिक प्रभाव** से पदावनत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद नाम	पदावनत पद का नाम
1-	श्री केदार नाथ	उप महानिरीक्षक कारागार	वरिष्ठ अधीक्षक
2-	श्री शैलेन्द्र कुमार मैत्रेय	वरिष्ठ अधीक्षक	अधीक्षक
3-	श्री रामधनी	वरिष्ठ अधीक्षक	अधीक्षक
4-	श्री अशोक कुमार सागर	अधीक्षक	कारापाल
5-	श्री रीवन सिंह	अधीक्षक	कारापाल
6-	श्री कैलाश चन्द्र	अधीक्षक	कारापाल
7-	श्री अनिल कुमार सुधाकर	अधीक्षक	कारापाल

5- उपर्युक्त पदावनत कार्मिकों को वित्तीय नुकसान न हों, इसके लिए वर्तमान में कार्मिकों को प्राप्त हो रही परिलब्धियाँ (मूल वेतन, महगांई भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियत वेतन के रूप में वैयक्तिक रूप से तब तक अनुमन्य कराई जाएँ जब तक कि संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार उनसे आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन, उनके बराबर न हो जाए, परन्तु इसके कारण वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ इन पदावनत कार्मिकों को प्राप्त नहीं होगा और इस नियत वैयक्तिक वेतन के आधार पर समान वेतन दिये जाने की मांग अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर नहीं की जाएगी कि वे उनसे वरिष्ठ हैं।

अर्थात् पदावनत किये जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा तथा आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन बराबर होने तक पदावनत कार्मिक को पदावनत पद के वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्वि देय होगी, किन्तु उक्त् वेतन वृद्वि की धनराशि उसके वैयक्तिक वेतन में समायोजित होती रहेगी, अर्थात् पदावनत कार्मिक की कुल परिलब्धियां फ्रीज रहेगी।

अर्थात् पदावनत किये जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक का वेतन आसन्न वरिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर निर्धारित किया जाएगा तथा पदावनत किये जाने पर आरक्षित

http://shasanadesh.up.nic.in

श्रेणी के कार्मिक एवं आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियों का जो अन्तर होगा, वह नियत वेतन के रूप में वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जाएगा। वह वैयक्तिक वेतन प्रतिवर्ष अनुमन्य होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि में समायोजित होता जाएगा, अर्थात् वैयक्तिक वेतन उस सीमा तक कम होता रहेगा, जबतक कि आसन्न वरिष्ठ कार्मिक का वेतन तथा पदावनत कार्मिक का वेतन बराबर न हो जाए।

6- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक, पदावनति के पश्चात पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधायें प्राप्त करेंगे।

एस0 के0 रघुवंशी
सचिव।

संख्या: 17/2015/1400 (।)/22-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0।
2- प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
6- अपर महानिरीक्षक (प्र0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
7- सम्बन्धित अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक/उप महानिरीक्षक/(नाम से) द्वारा-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10- गार्ड फाइल/चरित्र पंजिका।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in